

42/23 पगावली पेच दुभी। प्राची व वकील
 प्राची अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावती
 गयी। आवाज लगावने के उपरान्त भी
 प्राची की ओर से कोई उपस्थित नहीं
 आया। अतः प्राची का प्रार्थना पत्र अदालत
 हाजरी अदालत पैरवी में खारीज किया जाता
 है। पगावली घातल शुभा होकर नम्बर 12
 रुम होकर पन्ना दाखिल है।



राजवीर सिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 नामकाथाना (सीकर)